न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती हरफूल सिंह यादव, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 146 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 146

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. मनरा पुत्र दजा, जाति कलबी, निवासी ग्राम वाटेरा, तहसील बागोड़ा, जिला जालौर, राज ।		1. गीगा पुत्र दजा, जाति कलबी, निवासी ग्राम वाटेरा, तहसील बागोड़ा, जिला जालौर, राज.। 2. बेचरा पुत्र दजा, जाति कलबी, निवासी–वाटेरा, तहसील बागोड़ा, जिला जालौर, राज.। 3. भूमिधारी, तहसीलदार बागौड़ा, जिला जालौर। 4. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोरसीम, तहसील बागोड़ा, जिला जालौर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा निर्णय दिनांक 29.02.2016

उपस्थिति :–
1. श्री हरीराम नेहरा, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट
2. श्री मदन दास वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 30/9/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा के निर्णय दिनांक 29.02.2016 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के द्वौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये थे वह नोटिस अपीलाण्ट को प्राप्त नही हुये। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 ने मिलीभगत करते हुए नोटिस की

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

पुस्त पर आसामी निजी कार्य होने बाहर गया था, की रिपोर्ट लिखकर दो गवाहान् के हस्ताक्षर करवाये गये इस प्रकार तामिल कुनिन्दा द्वारा चस्पानगी कर नोटिस तामिल की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की तामिल को प्रर्याप्त तामिल माने जाने का वर्णन अपने आदेशिका दिनांक 23.02.2016 में किया था जबकि कानूनन् रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के अनुसार विधिवत् रूप से तामिल करवाई जानी चाहिये थी तथा जहां प्रतिस्थापित तामिल करवाई जाती है वहां नोटिस की पुस्त पर गवाहान् के हस्ताक्षर करवाया जाना ही प्रर्याप्त नहीं है बल्कि गवाहान् के पूर्ण पते भी वर्णित किये जाने चाहिये तथा बिना न्यायालय के आदेश के प्रतिस्थापित तामिल किया जाना विधि विरूद्ध है। न्यायालय की आदेशिका के अनुसार प्रतिस्थापित तामिल किये जाने का कोई भी आदेश अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित नही किया गया था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है जो आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य हैं।

प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 दोनों ही रिश्ते में सगे भाई है तथा दोनों भाईयों ने न्यायालय को मुगालते में रखते हुए तथा मिलावट करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 02 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में इकवालिया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आलौच्य आदेश पारित करवा दिया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रस्तुत किया गया है जिसमें वर्णित आधारों से मामला धारा 136 में पोषणीय नहीं है। वास्तविक रूप से धारा 136 के तहत् लिपिकीय त्रुटियों के अंकन को सुधारा जा सकता है, अगर सैटलमेन्ट विभाग के द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन के आदेश के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लानी जानी चाहिये लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि की अनदेखा करते हुए आलौच्य आदेश पारित करने में भारी कानूनी व वाक्यात्ति भूल कारित की है इस कारण भी आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि व दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अंदाज करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है वास्तविक रूप से प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट किया है कि खसरा नम्बर 208 व 62 मौजा राऊता की कृषि भूमि में जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीददार है तथा पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 350 दर्ज किया गया था तथा उसी अनुसार खातेदारी जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया था तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा द्वितीय सैटलमेन्ट की प्रविष्ठि को गलत बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वास्तविक रूप से द्वितीय सैटलमेन्ट के पश्चात् ही प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा भूमि खरीदी गई थी तथा पंजीबद्ध विक्रय विलेख में किये गये इन्द्राज को प्रत्यर्थी संख्या 01 धारा 136 के प्रावधानों के तहत् दुरूस्त करवाने का कानूनन् रूप से अधिकारी नही है। धारा 136 के प्रावधानों के विपरित जाते हुए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम दर्ज करने का जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.02.2016

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

निरस्त कर उक्त आदेश की पालना में किये गये परिवर्तन को भी निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

5. विद्वान अधिवक्ता वकील रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2 ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट्स के पूर्व खातेदार गोपालसिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह कौम राजपूत से खातेदारी कृषि भूमि मौजा राऊता, पुराने खसरा नम्बर 208 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम दिनांक 27.01.1979 को जरिए रजिस्ट्री खरीद की गई। उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर पुराने खसरा नम्बर 208, 62 का तत्कालीन हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 350 मौजा राऊता खोला गया, जिसकी जाँच तत्कालीन हल्का नू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की जाकर ग्राम पंचायत राऊता द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त म्यूटेशन बेचान दस्तावेज अनुसार रेस्पोडेण्ट्स गीगा पुत्र श्री दजा के हक में स्वीकृत किया गया। प्रार्थी के हक में स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 350 का तत्कालीन हल्का पटवारी मौजा राऊता ने पुराने खसरा नम्बर 208, 62 किस्म बारानी तृतीय का इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 में किया गया। द्वितीय सैटलमेण्ट के दौरान सैटलमेण्ट कार्मिकों ने पुराने खसरा नम्बर 208 व 201 को मिलाकर नया खसरा नम्बर 280 रकबा 6.85 हैक्टेयर मौजा राऊता सृजित किया गया तथा पुराने खसरा नम्बर 61 व 62 को मिलाकर नया खसरा नम्बर 85 रकबा 01.52 हेक्टेयर मौजा राऊता सृजित किया गया, जबकि पुराने खसरा नम्बर 61 व 208 रेस्पोडेण्ट्स स्वयं की खरीदसुदा स्वअर्जित खातेदारी भूमि थी। आराजी गत खसरा नम्बर 208 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा के बीघा से हैक्टेयर प्रणाली में रकबा 03.54 हैक्टेयर तथा गत खसरा नम्बर 62 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा के बीघा प्रणाली से हैक्टेयर प्रणाली में रकबा 0.55 हैक्टेयर मौजा राऊता बनता है। इसी रकबे की प्रविष्टी रेस्पोडेण्ट्स अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया है तथा रेस्पोडेण्ट्स के कब्जे काश्त की भूमि अधनिस्थ न्यायालय के पत्रावली में संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" लाल रंग से दर्शित पेश किया है। द्वितीय सैटलमेण्ट कर्मचारियों ने द्वितीय मिसल बंदोबस्त मौजा राऊता में नए खसरा नम्बर 85 रकबा 01.52 हैक्टेयर खसरा नम्बर 280 रकबा 06.85 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, जाव तृतीय की खातेदारी गीगा, बेचरा, मनरा पिसरान दजा कौम कलबी साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज कर दी, जबकि पुराने खसरा नम्बर 208 व 62 की खातेदारी रेस्पोडेण्ट्स के अकेले के नाम की खरीदी हुई थी. इसमें अपीलाण्ट व अन्य के नाम सैटलमेण्ट कार्मिकों ने गलती से दर्ज कर दिया। इस गलत नाम की प्रविष्टि को प्रार्थी सही व शुद्ध दर्ज करवाकर, उक्त खसरान का रकबा रेस्पोडेण्ट्स अकेले के नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसी प्रकार द्वितीय सैटलमेण्ट की गलती आगे राजस्व रिकॉर्ड की नई जमाबंदी में नए खसरा नम्बर 85 रकबा 01.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 06.85 हैक्टेयर में दर्ज होती गई। उक्त त्रुटि को अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बागोडा के द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.02.2016 के द्वारा शुद्ध किया गया है। रेस्पोडेण्टस संख्या 1 की खरीद शुदा एवं कब्जा शुदा भूमि होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के अनुरूप होने से यथावत रखा जावे।

20/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को नोटिस भेजा गया था। अपीलाण्ट न्यायालय में उपस्थित नही होने से पत्रावली का निर्णय किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली की अपीलाण्ट को जानकारी थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुसार होने से अपील खारीज फरमाई जावे।

6. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया एवं बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है क्योकि अपीलाण्ट को नोटिस तामिल सी.पी.सी. के आदेश 5 के अनुसार नही की गई। अर्थात् विधि के अनुरूप अपीलाण्ट को प्रकरण की सुचना नही दी गई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में क्रय शुदा भूमि को रेस्पोडेण्ट्स के नाम पृथक से दर्ज करने का आदेश कानुनी रूप से सही पारित किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नंबर पुराना नक्शा पेश नही किया गया। जिस बाबत यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज भूमि साबिक खसरा नम्बर है या नही बाबत परीक्षण नही किया जा सका। इस कारण उक्त तकनीकी बिन्दुओ पर पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक है। यह कार्य भू– अभिलेख अधिकारी के स्तर पर किया जाना है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा को प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं पर पुनः परिक्षण तथा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देकर बाद परिक्षण यदि कोई कमी आलौच्य आदेश दिनांक 29.02.2016 में कमी/त्रुटि पाई जाती है तो उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा पुनः नया आदेश पारित कर सकेगें। पुनः आदेश पारित करने तक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा का आदेश दिनांक 29.02.2016 तथा रिकार्ड की स्थिति यथावत रहेगा। उभयपक्षकारान मौके की भी यथास्थिति बनाए रखेगे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)